




उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राजगंज)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
81/021	188, 53 RTA	खाताली	खंडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
ग्यारसीलाल	बनाम	गन्नालाल वर्गौ	

वकील :- अजय - श्री वास्तव एडवो.

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
21/9/21	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 53 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 9/11/21 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राजगंज) </p>	
6/10/21	<p>प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर 20/10/21 पर पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपरिचय/अनुपरिचय। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्वत पत्रावली न्यायालय में दिनांक.. 19/11/21 को पेश हो।</p>	
9/2/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तमिल सम्मन प्राप्त। पुनः तलबी हेतु तलबना पेश करे। तलबी तलबी पत्रावली दिनांक 28/3/22 को पेश हो।</p> <p align="right">  </p>	
28/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। तीस बार आज्ञा पुनरवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण प्रत्यक्ष हाजरी अदालत में रवी रकारित किया जाता है। पत्रावली निरस्त होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p align="right">  </p>	